UPSI010039642026

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0एक्ट) सीतापुर।</u>
<u>अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–304/2026</u>
C.I.S. No. 1756/2026

आयुष शुक्ला उर्फ गौरी उम्र 28 वर्ष पुत्र सरवन शुक्ला निवासी ग्राम हीरपुर थाना कोतवाली सिधौली जिला सीतापुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

स्टेट ....अभियोजक।

अ0सं0–129/2026
धारा–109(1),191(2),191(3),190,
324(4),117(2)बी0एन0एस0।
थाना–अटरिया।
जिला सीतापुर।

<u>निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र</u>

अ0सं0–129/2026, अन्तर्गत धारा–109(1),191(2),191(3),190, 324(4),117(2) बी0एन0एस0 थाना अटरिया जिला सीतापुर से सम्बन्धित अभियुक्त **आयुष शुक्ला उर्फ गौरी** की ओर से प्रस्तुत किए गए अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त व विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौ0) के तर्को को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक् रूप से परिशीलन किया।

संक्षेप में कथन इस प्रकार हैं कि–वादी मुकदमा हिमांशु त्रिपाठी ने प्रार्थनापत्र प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अटरिया को इस आशय का दिया कि प्रार्थी का पुत्र प्रशान्त त्रिपाठी आज शाम को समय लगभग 8.00 पी0एम0 अपने आवश्यक कार्य हेतु सिधौली से लखनऊ जा रहा था। टिकौली मोड़ के पास अचानक प्रार्थी के पुत्र की गाड़ी पर पीछे से ठोकर मारी। प्रार्थी के पुत्र की गाड़ी सम्भल पाती कि लगातार बार–बार जान से मारने की नीयत से तीन गाड़ियों से ठोकरे मारी, जब तक कि प्रार्थी के पुत्र की गाड़ी खाही में नहीं गिर गयी। खाही में गिरने के बाद प्रार्थी के पुत्र को गाड़ी से खींचकर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियारों लाठी डंडों व नाजायज असलहों के बट से मारना शुरू कर दिया। प्रार्थी के पुत्र को मारने वालों की पहचान की जिसमें मनोज तिवारी पुत्र अज्ञात(प्रधान प्रतिनिधि) कान्हमऊ उनके भतीजे अंशुल तिवारी पुत्र छोटे तिवारी, हिमांशु तिवारी पुत्र छोटे तिवारी व आयुष शुक्ला उर्फ गौरी पुत्र अज्ञात व 10 से 12 लोग अज्ञात थे जो प्रार्थी के पुत्र को जान से मारने की नीयत से लगातार मारे जा रहे थे, मेरे लड़के के बेहोश हो जाने के पश्चात उसे मरा जानकर विपक्षी अपनी कारों में बैठकर भाग गये। मैं हिमांशु त्रिपाठी अपने लड़के को हिन्द अस्पताल में भर्ती कराकर सूचना देने आया हूं। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की कृपा करें। उक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत के सम्बन्ध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को उपरोक्त मुकदमे में रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। वह बिल्कुल निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना कारित करने के आशय का उल्लेख नहीं किया गया है। वादी का पुत्र प्रशान्त त्रिपाठी जिस कार से लखनऊ जा रहा था न तो उस कार के नम्बर का और न ही टक्कर मारने वाली कारों के नम्बर व स्वरूप का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में किया गया है। आवेदक चोटहिल प्रशांत त्रिपाठी को न तो जानता–पहचानता है न ही कभी कोई सम्पर्क व संबंध रहा है। आवेदक को प्रधानी की चुनावी रंजिश के कारण झूंठा फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अतः उसे अग्रिम जमानत दिये जाने की याचना की गयी है।

विशेष लोक अभियोजक फौ0 द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथन किया गया है कि प्रार्थी का पुत्र प्रशान्त त्रिपाठी आज शाम को समय लगभग 8.00 पी0एम0 अपने आवश्यक कार्य हेतु सिधौली से लखनऊ जा रहा था। टिकौली मोड़ के पास अचानक प्रार्थी के पुत्र की गाड़ी पर पीछे से ठोकर मारी। प्रार्थी के पुत्र की गाड़ी सम्भल पाती कि लगातार बार–बार जान से मारने की नीयत से तीन गाड़ियों से ठोकरे मारी, जब तक कि प्रार्थी के पुत्र की गाड़ी खाही में नहीं गिर गयी। खाही में गिरने के बाद प्रार्थी के पुत्र को गाड़ी से खींचकर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियारों लाठी डंडों व नाजायज असलहों के बट से मारना शुरू कर दिया। प्रार्थी के पुत्र को मारने वालों की पहचान की जिसमें मनोज तिवारी पुत्र अज्ञात(प्रधान प्रतिनिधि) कान्हमऊ उनके भतीजे अंशुल तिवारी पुत्र छोटे तिवारी, हिमांशु तिवारी पुत्र छोटे तिवारी व आयुष शुक्ला उर्फ गौरी पुत्र अज्ञात व 10 से 12 लोग अज्ञात थे जो प्रार्थी के पुत्र को जान से मारने की नीयत से लगातार मारे जा रहे थे, मेरे लड़के के बेहोश हो जाने के पश्चात उसे मरा जानकर विपक्षी अपनी कारों में बैठकर भाग गये। आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। चोटहिल द्वारा अपने कथित घटना का उल्लेख करते हुए बयान दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में चोटहिल को 11 चोटें आयी है। प्रस्तुत मामले में अभी विवेचना प्रचलित है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का संतोषजनक आधार नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त आयुष शुक्ला उर्फ गौरी द्वारा अ0सं0–129/2026, अन्तर्गत धारा–109(1),191(2),191(3),190,324(4),117(2) बी0एन0एस0 थाना अटरिया जिला सीतापुर के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

(महेन्द्र सिंह–IV)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/
एस0टी0एक्ट, सीतापुर।
JO CODE UP 6113

दिनांक–29.06.2026

Digitally signed by Mahendra Singh
Date: 2026.06.29 17:15:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court sitapur